



बिहार विधान सभा

अष्टादश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य सूची

3 दिसंबर, 2025

11:00:00

प्रारम्भिक कार्य

(1) अध्यक्ष का सम्बोधन |

2. माननीय राज्यपाल का अभिभाषण (11.30 बजे पूर्वां)

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधान मंडल के सह-समवेत सदस्यों के समक्ष माननीय राज्यपाल का अभिभाषण |

(माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः सभा वेश्म में कार्यवाही)

3. अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

(1) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12 (1) के अन्तर्गत अध्यासी सदस्यों का मनोनयन |

4. समितियों का गठन

(1) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसरण में समितियों का गठन |

5. सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

(1) माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का प्रभारी मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा जाना |

- (2) बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा विगत सत्र में स्वीकृत तदुपरांत माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमति विधेयकों के विवरण का सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा जाना ।
- (3) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 की धारा 64 के तहत "बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (4) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025" की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (5) संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006" की धारा 8 (3) के तहत "बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025" की एक प्रति सभा पटल पर रखा जाना।
- (6) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा The Bihar Industrial Area Development Authority (Financial, Service and Technical) Regulations 2007; The IDA (Financial, Service and Technical) Regulations 2007; बिहार उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2015; जिला उद्योग केंद्र आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उद्योग सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2013; बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015; बिहार उद्योग (हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015; बिहार हस्तकरघा तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।

6.

वित्तीय कार्य

- (1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन ।
7. अन्य नित्तान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।
8. शोक प्रकाश ।